VOL- VI ISSUE-XII DECEMBER 2019 PEER REVIEW e-JOURNAL IMPACT FACTOR 5.707 ISSN 2349-638x

वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में हुए संशोधनों के दौरान कर संग्रह एवं् समस्याओं का अध्ययन

डॉ.आर.एच.नगरकर
जी.एस. कॉलेज ऑफ
कॉमर्स ॲण्ड इकॉनामिक्स, नागपूर

सारांश :–

वस्तु एवं सेवा कर कानून भारत में १९९१ में उदारवाद के बाद से यह सबसे बडा कानूनी सुधार है। केन्द्र सरकार ने इसे राष्ट्रस्तर पर लागू किया है। जीएसटी को लेकर राजनीतिक और व्यावसायिक जगत में बडी हलचल एवं मतांतर दिखाई दिए। यह अप्रत्यक्ष कर है जिसमे पहले के अनेक करों को समाप्त कर एक कर का स्वरुप दिया गया है। वस्तु और सेवा दोनो पर लगता है। जूलाई २०१७ में लागू होने के पश्चात अभी नवबंर २०१९ तक की अवधि में इसमें सुझावो–सुचनाओ के अनुसार सरल और सुगम बनाने के लिए २१६ संशोधन एवं पध्दति परिवर्तन किए गये है, किंतू देखा जा सकता है, इससे कर संग्रह की राशी में कोई बडा परिवर्तन नही हुआ व कर संग्रह में उल्लेखनीय वृध्दि नही हुयी है। कारोबारियों और पेशेवरों लोगो को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड रहा है। अपेक्षा है यह कानून और व्यवस्था अपने उद्देश्यों को सफलता से प्राप्त करेगा।

मूल शब्द :– जीएसटी, वस्तू एवं सेवा कर, कर संग्रह, संशोधन, समस्याएं एवं कठिनाईयॉ

प्रस्तावना :–

देश के व्यापार, व्यवसाय, उद्योग अर्थात वाणिज्यिक जगत के लिए देश में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम अस्तित्व में आया है। यह एक नई कर व्यवस्था है। यह १ जुलाई २०१७ से लागु की गयी। इसे लागू करने के लिए पहले की कॉग्रेस सरकार प्रयत्नशील दिखाई दी थी किंतू इस अपनाने और आरंभ करने में पूर्व की सरकार ने देर कर दी। २०१४ के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी और वित्तमंत्री स्व. अरुण जेटली ने इस नई कर व्यवस्था को आरंभ करने में विशेष दिलचस्पी दिखाई और यह प्रणाली अस्तित्व में आयी। जी. एस. टी. अधिनियम को लागू करते समय, इसके पूर्व और इसके बाद में राजनैतिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में चर्चाओं, बहसों और विवादों का दौर दृष्टीगत हुआ है, इसमें अच्छा और बुरा सिध्द करने वाले को दो गुट स्पष्ट दिखाई दिए। इसमें सुधारों की संभावनाओं के सुझावो देने वालो की संख्या कम नही थी। सरकार ने जीएसटी को 'एक राष्ट्र–एक कर' के रुप में परिभाषित कर इसक बोधवाक्य घोषीत कर दिया। जिस तेजी और जल्दबाजी में जीएसटी बिल और उसकी व्यवस्था को जुलाई २०१७ में लागू किया गया, उसमें अभी २९ महिनों में ही अनेक प्रावधानों में संशोधन किये गये और यह परिवर्तन और संशोधन होते रहेंगे ऐसा अनुमान है। प्रस्तुत शोध निबंध का केन्द्र बिंदू यही है कि जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद कम समय में ही उसमें हुए परिवर्तनों हुए का और इस अवधि में हुए कर संग्रह का अध्ययन करना है ।

अध्ययन का उद्देश :–

१) वस्तु व सेवा कर कानून की जानकारी प्राप्त करना ।
२) जीएसटी कौन्सींल की बैठकों का अवलोकन करना ।
३) निरंतर कर दर एवं प्रणालियों में परिवर्तन के दौरान कर राजस्व संग्रह का अध्ययन करना

संशोधन का प्रकार :–

प्रस्तुत संशोधन का प्रकार वर्णनात्मक है, जिसमें विषय से संबंधित सामग्री का विश्लेषण किया गया है ।

तथ्य संकलन के स्त्रोत :–

प्रस्तुत अध्ययन के लिए द्वितियक स्त्रोतो से तथ्य तथा जानकारी जुटायी गई है। इसके लिए विभिन्न पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्र तथा इंटरनेट पर सरकारी – गैरसरकारी का उपयोग किया गया है ।

परिकल्पना :–

जीएसटी संशोधनों का कर से प्राप्त राजस्व संग्रह पर विशेष प्रभाव नही पडा है ।

व्याप्ति :–

जीएसटी कौन्सिल की बैठकों की संख्या एवं उसके दौरान किए गये संशोधनों का अध्ययन किया गया है। जी.एस.टी. संग्रह के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात केन्द्र सरकार को प्राप्त राजस्व का अध्ययन किया गया है ।

सीमाएँ :–

इस संशोधन में राज्यस्तर पर राज्य सरकारों का राजस्व के हिस्से का उल्लेख नही किया गया। तथ्य संकलन एवं सामग्री एकत्रित करने के लिए केवल द्वितियक स्त्रोत का ही उपयोग किया गया है ।

विश्लेषण एवं निरिक्षण :–

वस्तु एवं सेवा कर : वस्तु एवं सेवा कर व्यापार वाणिज्यीक क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा लागू की गई नई कर व्यवस्था है। जीएसटी एक वैट है जो वस्तुओं दोनों और सेवाओं पर लगता है। पहले वैट सिर्फ वस्तुओं पर लगता था, यह कर दो स्तरों पर लगता है, एक केन्द्रीय जीएसटी है, जबकि दूसरा राज्य का इसमें संपूर्ण देश एक बाजार में परिवर्तित हो गया। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर इसमें समावेशीत हो गये है। केन्द्र के स्तर पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा कर और राज्य स्तर पर वैट, मनोरंजन, विलासिता, लॉटरी टॅक्स और बिजली शुल्क, प्रवेश शुल्क चूंगी को समाप्त कर दिया गया है। अलग अलग टॅक्स की बजाय एक टैक्स लगेगा। कारोबारियों द्वारा यह कर चूकाया जाता है। दरअसल अप्रत्यक्ष कर होने की वजह से ग्राहक को वस्तु या सेवा खरीदते समय अदा की जाने वाली किमंत के साथ ही इसका भूगतान करना होता है। यह आधुनिक कर व्यवस्था है, जो पहले से चीन में लागू है। ७० वर्ष पुरानी कर संरचना को समाप्त करके ONE NATION – ONE TAX इस अवधारणा के साथ इसे अपनाया है। जीएसटी में आने के बाद राज्यों को जीएसटी पर होने वाले घाटे पर ५ साल तक ७५ से ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति देने का वादा केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारो को दिया है ।

जीएसटी की दरों में, उसकी भूगतान पध्दति में और उपनियमों में परिवर्तन / संशोधन / निर्धारण करने का अधिकार जीएसटी कौन्सील को है ।

नवंबर २०१९ तक जीएसटी कौन्सील की कुल ३७ बैठक संपन्न हुयी। जिसमें कुल २१६ संशोधन किए गये। यह व्यवस्था और टॅक्स लागू होने के पश्चात सिर्फ २८ महीनों में कर की दरों और प्रक्रिया पध्दति में इतनी बडी संख्या में परिवर्तन किए गये और २१६ अधिसूचनाएं जारी की गयी। इस बात पर विचार करना होगा ।

तक्ता क्र. १ प्रतिमाह कर संग्रह राशी

Month	FY 2017-18	FY 2018-19	FY 2019-20
April		1,03,459	1,13,865
May		94,016	1,00,289
June		95,610	99,939
July		96,483	1,02,083
August	95,633	93,960	98,202
September	94,064	94,442	91,916
October	93,333	1,00,710	95,380
November	83,780	97,637	1,03,492
December	84,314	94,726	
January	89,825	1,02,503	
February	84,962	97,247	
March	92,167	1,06,577	
Average Collection	**96,889**	**98,457**	**97,248**

आलेख क्र. १

१) जीएसटी लागू किए प्रथम वर्ष २०१७–२०१८ में न्यूनतम कर प्राप्ति रु ८३,७८० करोड नवंबर माह में तथा अधिकतम प्राप्ती रु. ९५,६३३ अगस्त माह में हुयी है ।

२) वित्तिय वर्ष २०१८–२०१९ में अधिकतम प्राप्ती राशी रु. १,०६,५७७ करोड मार्च महीने में तथा न्यूनतम प्राप्ती रु. ९३,९६० करोड अगस्त माह में हुयी ।

३) वर्तमानवित्तीय वर्ष २०१९–२०२० अधिकतम प्राप्ती राशी रु. ८,१३,८६५ है। न्यूनतम रु. ९१,९१६ करोड सितंबर में हुयी। अभी ४ महीने की प्राप्तीयॉ शेष है ।

४) विगत दो वर्षो में अधिकतम वार्षिक प्राप्ती वर्ष १८–१९ में रु. ९८,४७६ करोड रही। वर्तमान चालू वर्ष में ४ महीने शेष है। जबकि प्राप्ती रु. ९७,२४८ करोड है, जिसे समाधानकारक माना जा सकता है ।

५) तीनों वित्तिय वर्षो में न्यूनतम प्राप्ती नवबंर २०१७ महीनो में रही तथा अधिकतम प्राप्ती अप्रैल २०१९ महीने मे रही ।

६) प्रत्येक वर्ष के मार्च – अप्रैल महीने में जीएसटी करों की प्राप्तीयॉ अधिक दिखाई देती है।

७) २८ महीनों में करों की दर में किए परिवर्तनो का बहुत लाभ या सकारात्मक प्रभाव प्राप्तीयों पर नही दिखाई देता ।

निरिक्षण :–

१) वस्तु एवं सेवा कर को अल्प चर्चाओ और बैठकों के पश्चात जल्दबाजी में लागू किया गया। पहली जीएसटी कौन्सिल की बैठक २२ सिंतबर २०१६ में हुयी, जबकि इसे जूलाई २०१७ में लागू कर दिया गया। इसके कारण अनेक कार्यात्मक कठिनाईयॉ तथा व्याख्या करने में अनेक अस्पष्टताएँ दिखाई दी। इस कानून में काम समय में बहुत सारे संशोधन इसी कारण से करने पडे ।

२) सूचना और तकनीकी ;प्ज्द्ध की दृष्टि से जीएसटी इसके चलते नेटवर्क सुसज्जित एवं त्पर नही या इसके पोर्टल पर कॉफी भीड दिखाई दी। आरंभिक महीनों में जीएसटी रिटर्न पुस्तुतीकरण की अंतिम तिथि की अवधियों का बढाया गया ।

३) अनेक जन आवश्यक वस्तुओं पर जल्दबाजी में कराधान किया गया। अनेक अनिवार्य उपयोगी वस्तुओं पर उची दर से कर लगाया गया। इन समस्याओं को प्रभावी ढंग से जीएसटी कौंन्सील ने सुलझाया है। जिसके कारण जीएसटी कर दर में अनेक परिवर्तन किए गये है ।

४) जीएसटी कानून के कारण करदाताओं को कर भरने के लिए अनुपाल करने का बोझ बढ गया है। छोटे करदाता को भी मासिक एवं त्रैमासिक रुपसे रिटर्न फाईल करना पडता है, इसके पहले के ट।ज तथा सेवा कर में ऐसी बाध्यता नही थी ।

५) जीएसटी का बोध वाक्य है – एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार, सरकार इस नारे के आश्वासन को पूर्ण करने में असमर्थ सिध्द हुयी है। जीएसटी कानुन में किए गये अनेक परिवर्तनों के कारण यह वाक्य असफल हुआ है। उदा. सहज इनप्युट क्रेडीट का लाभ देने की वचनबध्दता थी जो नही हो सकी। इससे टॅक्स चोरी की प्रवृत्ती भी दिखाई दी।

६) स्पष्ट है कि जीएसटी कानून नया है और अभी पूरी तरह स्थिर नही हो पाया है। इसमें स्पष्टता और स्थिरता आने और करदाताओं को सरल महसूस होने से कारोबार करने में सुगमता होगी, इससें कर से राजस्व संग्रह भी बढेगा ।

७) करदाता की शिकायतों का निराकरण करने में सरकार प्रभावहीन दिखाई दी ।

८) करदाता समय पर अपने रिटर्न फाईल करने और टॅक्स अदा करने में अनिच्छुक है। प्रस्तुत निबंध में जीएसटी वसूली के दर्शाए गये चार्ट से सिध्द होता है। चार्ट से यह भी ध्यान में आता है कि विशेषत: मार्च के महीने में वसूली संग्रह बढ जाता है। शेष महीनों में वसूली की राशी कम होती है। इसका

कारण है, करदाता अपनी कर अदा करना वित्तीय वर्ष के अंत तक टालते है ।

९) बडी संख्या में करदाताओं और पेशेवर व्यक्तियों ने उनकी समस्याओं का निवारण करने में सरकार द्वारा दिखाई गयी तत्परता की सराहना की है। सरकार की ऐसी तत्परता पहले कभी दिखाई नही दी। वित मंत्रालय और जीएसटी परिषद करदाताओं और कर पध्दति की कठीनाईयों को शीघ्र निपटाने का प्रयास किया है। देशभर में इस संबंध में चलाये गये अभियान एवं जागृति कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। मंत्रालय और परिषद में सोशल मिडिया का लोगों की पूछताछ, संदेहो और कठिनाईयों का उत्तर देने के लिए अच्छा उपयोग किया है ।

१०) वर्तमान के इस हलचल भरे दौर में कर प्रैक्टीशनर और पेशेवरों को बहुत कष्ट का सामना करना पडा है, जीएसटी अधिनियम में कर की दरों और नियम व प्रणाली में निरंतर और तेज परिवर्तनों का सामना उन्हें करना पडा और निपटाने हेतू अधिक परिश्रम करना पडा। पेशेवरों की इस अधिनियम व प्रावधानों को विश्लेषण करने और लागू करने की समर्थता और क्षमता पर सरकार निर्भर दिखायी दी। इससे भी पेशेवरों पर जीएसटी का कार्य भार बढा था ।

निष्कर्ष :–

जीएसटी ॲक्ट और व्यवस्था को बहुत जल्दबाजी में लाया गया। इसके अमंल में खामियाँ दिखाई दी। लागू होने के २८ महीनों से २१६ संशोधन, परिवर्तन और पध्दतियों में बदलाव किए गये। इसने संशोधनो और पध्दति में परिवर्तनों के बावजुद २८ महीनों में औसत कर प्राप्ती हुई। नोटबंदी के जनता पर हुए आघात से उभरने से पूर्व ही जीएसटी की आरंभिक भ्रमित अवस्था के कारण कारोबारी करदाताआं को यह कानून, उसके प्रावधानों, प्रणाली को समझने में कठीनाई हुयी। करों के विशेषज्ञ, कर प्रैक्टीशनर, चार्टड अकाऊंटेट जैसे पेशेवरों को भी विश्लेषण करने, समझने और समझाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पडा। इस करों में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं कर की विभिन्न दरे है, यह भी करदाताओं को समझने के लिए कठीन रही है। रिटर्न फाईल करने की प्रक्रिया जटील थी जिसे समझना सामान्य कारोबारी करदाता के लिए मुश्किल भरा है। सरकार ने दावा किया था जीएसटी के कारण एक ही टॅक्स लगने की वजह से चीजों के दाम घटेंगे और आम उपभोक्ता को फायदा होगा, सरकार की कर वसूली की लागत भी घटेगी। जिससें उपभोक्ताओं के लिए वस्तुएँ – सेवाएँ सस्ती होगी किंतू वास्तविकता विपरीत है। वस्तुएं और सेवाएँ प्रतिमाह महंगी ही होती गई है, इसका भार आम उपभोक्ता पर पड रहा है। जीएसटी कर का भार आम उपभोक्ता को वस्तु की किंमत के साथ चूकाना पड रहा है ।

प्रस्तुत अध्ययन मे परिकल्पना सही सिद्ध हुई है कि जिएसटी संसाधनों का राजस्व संग्रह पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है।

इसके संबंध में कई विशेषज्ञों का तर्क है, कि जिन जिन देशों में यह कर व्यवस्था लागू की गई है, उन देशों में आंरभिक तीन वर्षो में महंगाई बढी है,इसके पश्चात के वर्षो मे महंगाई कम हुयी ।

जीएसटी कर सुधार का सबसे क्रांतीकारी कदम है, जो केन्द्र और राज्यों के बीच एक नई सहकारी भागीदारी का आधार बन सकता है। अगर इसे सफलतापुर्वक लागू किया गया, तो एक नये युग का संकेत हो सकता है। सरकार, कारोबारियों और आम जनता के लिए कुल मिलाकर यह कानून सही सिध्द हो सकता है।

संदर्भ सूची :–

1) Press information bureo
2) www.gst. gov.in
3) livemint.com
4) gstcouncil.gov.in
5) cleartax.in
6) cbic.gov.in
7) taxmann.com
8) मनोरमा इयर बुक २०१७, २०१९ मलयाला मनोरमा प्रकाशन, कोच्ची
9) अर्थव्यवस्था अवलोकन, पत्रिका अप्रैल २०१५, धनगर प्रकाशन, मेरठ
10) दैनिक सकाळ, दि. २१.१२.२०१९
11) दैनिक लोकमत समाचार, दि. २२.१२.२०१९